

सं० सं० 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.9.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रामबली यादव पिता-चन्द्रिका यादव ग्राम-खेमटिहनिया पोस्ट-दुर्ग मटिहनिया थाना-विशम्भरपुर, जिला-गोपालगज सी.आरनं०-2011625947	गोल्ड ब्लॉडर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
2	संजीव कुमार पिता-नागेश्वर सिंह ग्राम-गौरीहार मन पो०-गौरीहार खलिक थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर नं०-2011502772	ब्रेन ट्युमर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
3	रंजना देवी पति-सुधीर कुमार सिंह ग्राम-दहीवर पो०-दहीवर थाना-औद्योगिक खेसतरा जिला-बक्सर सी.आरनं०-2015483577	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
4	अविनाश कुमार पिता-हरि लाल सिंह ग्राम-पो०-डीभीया थाना-करगहर जिला-रोहतास सी.आरनं०-2010186346	स्नायु रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।

31/11/13  
21/11/13

5	राम प्रवेश वर्मा पिता-स्व. नारायण वर्मा ग्राम-हरदासचक पो0-कोसी कालेज थाना-मुफसिल जिला खगड़िया सी.आरनं0-2015468442	गुर्दा रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	राजेन्द्र राम पिता-स्व. गणेश राम ग्राम-पो0-बड़रम थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सी.आरनं0-2013109903	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
7	संध्या कुमारी पति-तपेश्वर भगत ग्राम-महमदपुर पो0-मुजहर, थाना-हसपुरा जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-2015359031	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	किरण देवी पति-संतोष शुक्ला ग्राम-घोड़ीहा पो0-सीखीन्डा थाना-नोखा, जिला-रोहतास सी.आरनं0-2015234368	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	सरफराज आलम पिता-आशीक अंसारी ग्राम-बंगारी पो0-बसन्त थाना-गरखा जिला-सारण सी.आरनं0-2015387085	कैंसर रोग	₹ 35,000/- (पैंतीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 10,35,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,35,000/- ( दस लाख पैंतीस हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 508914 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

20/11/13  
7/1/14

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...508214...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 1144 (14)

पटना, दिनांक - 8-10-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/15  
7/10/15  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-4/15  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,  
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,  
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 23.9.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विरेन्द्र सिंह पिता-स्व. किशुन सिंह ग्राम-रतनपुरा पो०-बसही, थाना-करगहर जिला-रोहतास ओ.पीडी नं०-5749/15	अनेसथीसीया रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	सत्येन्द्र राय पिता-स्व. शिवनाथ राय ग्राम-बावनबांध गौरी पो०-मानीकपुर थाना-धनसोई जिला-बक्सर हौस्पिटल नं०-2379/15	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	श्रीमती देवी पति-रामजी ठाकुर ग्राम-नौतन बलुआ पो०-थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-7450/14	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
4	राधिका देवी पति-परशुराम महतो ग्राम-कोचाढ पो०-सोननगर, थाना-बारुन जिला-औरंगाबाद हौस्पिटल नं०-21350	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।

21/11/15  
21/11/15

